मिसल नम्बर :— 270/2024   GCMS नम्बर — 2024/......

प्रार्थना पत्र :— अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

उनवानी

राजसिंह आदि   बनाम   टेकचन्द आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29—11—2024	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थी की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट द्वारा पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थीगण को जरिये **अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारिख पेशी तक** पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम ढाणी सम्पतसिंह तहसील **बुहाना के** हाल **खाता संख्या 20 के ख0 न0 86 रकबा 3.84 है0, व खाता संख्या 123 के ख0 न0 85 रकबा 0.0300 है0, एवं खाता संख्या 124 के ख0 न0 146 रकबा 1.9100 है0, भूमि में प्रार्थी के 1/6 हिस्से तक वाद वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का रहन, दान, बैचान आदि नही करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।** प्रार्थी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 के तहत अप्रार्थीगण को 5 दिवस के अन्दर रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजें। अप्रार्थीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलबाना पर जरिये नोटिस जारी हो। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 09—01—2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)	
9/1/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित, पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 17/3/25 को पेश हो। [signature]	
17/3/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रति. संख्या 1, 5 व 7 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया। शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते जवाब/अग्रिम कार्यवाही दिनांक 24/3/25 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख
हुक्म

24/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में आशुतोष खेवट व खतौनी संख्या 9 में प्रति संख्या 1 द्वारा ख.न. 146 व 85 अपने हिस्से में से 1/3 हिस्से का उपहार पत्र दिनांक 20/5/2024 द्वारा प्रति संख्या 7 के हक में विकास को एक उपहार पत्र द्वारा उप पंजीयक बुधना के द्वारा तस्दीक करवा दिया। उपहार पत्र का नामान्तरण भी प्रति संख्या 7 के हक में तस्दीक हो चुका है। पंजीयक पंजीकृत उपहार पत्र को निरस्त कर पंजीकृत उपहार पत्र के जरिये हुये खातेदारी को हटाकर वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना न्यायालय उचित नहीं पाता है। क्योंकि पंजीकृत उपहार पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिससे [illegible] साबित हो कि पंजीकृत उपहार [illegible] सक्षम न्यायालय [illegible] निरस्त किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप अप्रार्थीगण/ प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 7 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दिनांक 18/3/2025 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:42 IST
Reason: SelfAttested

....बनाम..

मुकदमा..मुकदमा नम्बर........................सन्........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
	प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 7 का इस्तगासा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया 1908 दिनांक 18/3/2025 पोषणीय होने से स्वीकार कर इस्तगासा वाद पत्र संख्या 242/2024 बृजमनी राजसिंह बनाम टेकचन्द आदि को खारिज किया गया। अत: मूल दावा खारिज हो चुका है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज कर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।। उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:42 IST
Reason: SelfAttested